



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276444
CG-DL-E-23092026-276444

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5030]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948

No. 5030]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

सं. 77/2026-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 5237(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 3 और धारा 5 की उप-धारा (1) तथा (1क) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दी गयी तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त तालिका के स्तंभ (1) में उल्लिखित नोटिसी के संबंध में उक्त तालिका के (2) में उल्लिखित कारण बताओं नोटिसों के निपटाने के उद्देश्य से सीमा शुल्क आयुक्त, न्हावा शेवा-V, जवाहर लाल नेहरू कस्टम्स हाउस को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, यथा: -

तालिका

नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम और पता (मैसर्स)	कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक	उभयनिष्ठ न्यायनिर्णय प्राधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
मीनाक्षी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और अन्य	डीआरआई/एमजीयू/एनएस/आईएनवी-02/2011-12, दिनांक 10-02-2014	प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त (आयात-I), मुंबई सीमा शुल्क जोन-I, नवीन सीमा शुल्क भवन, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई- 400001
	डीआरआई/एमजीयू/एनएस/आईएनवी-02/2011-12, दिनांक 17-02-2014	

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[फा. सं. 450/98/2024-सीमा शुल्क-IV]

अनुरिमा शर्मा, निदेशक (सीमा शुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2026

No.77 /2026-Customs (N.T.)

S.O. 5237(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with section 3 and sub-sections (1) and (1A) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby appoints the officer mentioned in column (3) of the TABLE below to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on the Commissioner of Customs, Nhava Sheva-V, Jawaharlal Nehru Customs House, for the purpose of adjudication of the show cause notices mentioned in column (2) of the said TABLE, in respect of the noticee mentioned in column (1) therein, namely:-

TABLE

Name of noticee and address (M/s.)	Show cause notice number and date	Common adjudicating authority
(1)	(2)	(3)
Meenakshi Trading Corporation and others	DRI/MZU/NS/INV-02/2011-12, dated 10-02-2014	Principal Commissioner or Commissioner of Customs (Import-I), Mumbai Customs Zone-I, New Custom House, Ballard Estate, Mumbai-400001
	DRI/MZU/NS/INV-02/2011-12, dated 17-02-2014	

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/98/2024-Cus-IV]

ANURIMA SHARMA, Director (Customs)